हरी सिंह वगै0 बनाम लच्छी वगै0

मुकदमा किस्मः- प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. मुकदमा नम्बर :- 96/2022,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.2025	वकील उपभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी.पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण श्री हरीकृष्ण शर्मा ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रतिवादी संख्या 10 भौरा पुत्र धन सिंह जाति बंजारा निवासी ग्राम ऊमरा तहसील डीग की मृत्यु हो चुकी है जिसकी जानकारी न्यायालय श्रीमानजी द्वारा भेजे गये रजिस्टर्ड नोटिस के लिफाफे को वापिस होने पर तथा उक्त लिफाफे पर अंकित नोट से हुई है, इससे पूर्व कोई जानकारी वादीगण को नहीं थी। मृतक भौरा के नाम के आगे ला स्याही से मृतक शब्द दर्ज किया जाकर मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वकील वादीगणके द्वारा न्यायिक द्वष्टांत में आर.आर.डी.(1989) पेज 456 गोबर्धनदास बनाम स्टेट ऑफ राज0,डी. एन.जे. (SC) 2022 पेज 67,देविन्दरपाल सहगल बनाम परताप स्टील रेलिंग मिल्स,आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1132 भरतराम बनाम भादाराम,आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1235 गोपाल वगै0 बनाम रेवाड वगै0 पेश किये गये। वकील प्रतिवादीगण श्री नीरज कुमार वर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के साथ एवं विधि विरूद्व रूप से पेश किया गया है जोकि मैण्टेनेबिल नहीं है और काविले अवेट के है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण भौरा की मृत्यु की कोई तारीख तक अंकित नहीं की है और ना ही मृत्यु के समय के वारे में किसी माह वार साल व अवधि तक का जिक्र नहीं किया गया है। प्रतिवादी भौरा की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व ही हो चुकी थी जिस बावत प्रथम वार सम्मन पर ही इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से ही रही है। भौरा की मृत्यु दिनांक 01.01.1976 है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई है। मृतक के विरूद्व वाद है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. खारिज फरमाया जाकर दावा वादीगण अवेट फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक द्वष्टांत का अवलोकन तथा वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। वकील वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. के साथ म्याद अधिनियम धारा 5 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया तथा ना ही मृतक भौरा की मृत्यु की दिनांक व बर्ष का अंकन नहीं किया गया। भौरा की मृत्यु मुताविक मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.1976 को दावा दायरी से पूर्व होना प्रमाणित है। साथ ही वकील वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई विधि सम्मत दस्तावेज पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी.नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किये जाने इण्डियन लिमिटेशन एक्ट 1877 की धारा 5 के उपबंध लागू होने के कारण तथा विधि सम्मत साक्ष्यों के अभाव में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी.खारिज किया जाता है। अन्तर्गत आदेश 22 नियम 5(क) जहॉ वादी,प्रतिवादी की मृत्यु से अनभिज्ञ था और उस कारण से वह इस नियम के अधीन प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि का प्रतिस्थापन करने के लिए आवेदन,परिसीमा अधिनियम 1963 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं कर सकता था और जिसके परिणाम स्वरूप वाद का उपशमन हो गया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी वादीगण अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट अवेट हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.	

Scanned with OKEN Scanner